



सत्यमेव जयते

विषय: सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत Shri Sunil Pareek, Sector-H, House No-31, on Circle to GWD Road / Near SBI NRI Branch, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan, Pin: 342003., ईमेल: publicinterestjodhpur@gmail.com का RTI क्रं CWCND/R/X/22/00003 दिनांक 19/07/2022 और CWCND/R/X/22/00004 दिनांक 19/07/2022 के आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में।
(Information sought under RTI Act by Shri Sunil Pareek, Sector-H, House No-31, on Circle to GWD Road / Near SBI NRI Branch, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan, Pin: 342003., email: publicinterestjodhpur@gmail.com vide RTI application No CWCND/R/X/22/00003 dated:19/07/2022 and CWCND/R/X/22/00004 dated:19/07/2022 –reg)

इस कार्यालय में 21/07/2022 को केन्द्रीय जल आयोग के अवर सचिव एवं सूचना के अधिकार के नोडल अधिकारी के पत्रांक A-49012/8/2022/RTI/291 दिनांक 20/07/2022 से प्राप्त Shri Sunil Pareek.का दिनांक 19/07/2022 आवेदन के संबंध में जल आयोजन एवं परियोजना स्कंध, केन्द्रीय जल आयोग में उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

क्रं सं	वांछितसूचना:	उपलब्धसूचना:
1.	ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट (National Level Project) बनाने ताकि राजस्थान राज्य के पूर्वी क्षेत्र में प्रभावित 82 विधान सभा स्थानों पर रहने वाले आम लोगो के भाग्य को अविलम्ब प्रचुर मात्रा में सतही पानी पहुंचाकर बदला जा सके। इस पूर्वी क्षेत्र में सतही पानी पहुंचने पर राज्य के करीब 02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की एवं 40% जनसँख्या (राज्य के करीब 13 जिलों की) के पीने हेतु पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। के सम्बन्ध में दिनांक 21 सितम्बर 2017 से 04 जुलाई 2018 तक एवं 04 जुलाई 2018 से आज दिनांक तक भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय स्वयं तथा सम्बंधित अन्य विभागों के अधिकारियों के द्वारा आज दिनांक तक राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार (Chief Secretary, Govt. of Rajasthan), अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary), प्रमुख सचिव (Principal Secretary), संयुक्त सचिव (Joint Secretary), मुख्य अभियंता (Chief Engineer) सहायक मुख्य अभियंता (Additional Chief ,Engineer), जल संसाधन विभाग ,एवं राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग (State Water Resources Planning Department) Jaipur, Rajasthan, के कार्यालय को ईमेल तथा सरकारी डाक के द्वारा भेजे गए समस्त आधिकारिक (Official) एवं अर्धशाशकीय (Demi Official) सम्पूर्ण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ मुझे व्यापक जनहित में प्रदान करवावें। साथ ही साथ अति आवश्यक रूप से उन समस्त आधिकारिक एवं अर्धशाशकीय प्राप्त पत्रों के प्रति उत्तर में आज दिनांक तक राजस्थान राज्य सरकार के उक्तवर्णित समस्त अधिकारियों ने आज दिनांक तक जो भी जवाब भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय स्वयं तथा सम्बंधित अन्य विभागों के अधिकारियों को प्रेषित किया हैं उन समस्त सम्पूर्ण जवाबों युक्त पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ स्पष्ट रूप से मुझे व्यापक जनहित में प्रदान करवावें	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार एवं इस स्कन्ध के संबन्धित कार्यालयों, के बीच 21 सितम्बर 2017 से 04 जुलाई 2018 तक एवं 04 जुलाई 2018 से 10.08.2022 तक हुए पत्राचार की प्रतिलिपियाँ Annexure के रूप में सलग्रहै।



I/104365/2022(1)

निदेशक Director

ज.आ.एवं प.स.नि./ WP&P (C) & मुख्य जन सूचना अधिकारी/ CPIO

प्रति

1. Shri Sunil Pareek, Sectro-H, House No-31, on Circle to GWD Road / Near SBI NRI Branch, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan, Pin: 342003., ईमेल: publicinterestjodhpur@gmail.com

प्रतिलिपि

1. अवर सचिव एवं सूचना के अधिकार के नोडल अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को पत्रांक. A-49012/8/2022/RTI/291 दिनांक 20/07/2022 के अनुसरण में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

In case you are not satisfied with the information/ reply provided by this office, you may directly prefer an appeal within 30 days from the receipt of this letter to the first appellate authority whose address is given as under. **Name, designation & address of Appellate Authority for WP&P wing of CWC is Chief Engineer (PAO), Central Water Commission, 7th Floor (S), SewaBhawan, R. K. Puram, New Delhi - 110066. Phone No. 26103561 Fax No.26103561. email-ceprjap@nic.in**